



१९ मार्च २०२४

आदर्श आचार संहिता के दौरान माल की आवाजाही के लिए दस्तावेज़ीकरण पर मार्गदर्शन

प्रिय जीजेसी सदस्य, जीजेएस प्रदर्शक और सम्मानित ज्वैलर्स,

आगामी लोकसभा चुनाव २०२४ के मद्देनजर, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि 'आदर्श आचार संहिता'/'आचार संहिता' प्रभावी है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस अवधि के दौरान माल की किसी भी जब्ती या जब्ती को रोकने के लिए माल की आवाजाही, विशेष रूप से सोने, आभूषण और सर्राफा जैसी मूल्यवान वस्तुओं को आवश्यक दस्तावेज के साथ किया जाए।

ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने यह स्पष्ट करने के लिए सीबीडीटी चुनाव सेल के साथ परिश्रमपूर्वक काम किया है कि आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान पारगमन में सोने, आभूषण, बुलियन या अन्य मूल्यवान वस्तुओं की कोई जब्ती नहीं होगी, अगर उसके सारे उचित दस्तावेज आपके साथ हो। इसके अतिरिक्त, हमने २ से ५ अप्रैल २०२४ तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में होने वाले इंडिया जेम एंड ज्वैलरी शो (जीजेएस) के लिए महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त कर लिया है।

नीचे वे आवश्यक दस्तावेज़ हैं जो इस अवधि के दौरान माल की आवाजाही के साथ होने चाहिए

1. मूल कर चालान/डिलीवरी चालान

प्रदर्शनी स्थल तक अपने माल के परिवहन के लिए आप जिस लॉजिस्टिक्स कंपनी का उपयोग कर रहे हैं, उसके पक्ष में एक प्राधिकरण पत्र ले जाएं।

2. ई वेबिल

हालांकि वैकल्पिक, सुरक्षा और अनुपालन के अतिरिक्त उपाय के रूप में माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल तैयार करना उचित है।

3. प्रमाणित स्टॉक सारांश

सुनिश्चित करें कि आपके पास शो में प्रदर्शित की जाने वाली आभूषण वस्तुओं के लिए प्रमाणित स्टॉक स्टेटमेंट है।

चुनाव अवधि के दौरान अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी राजनीतिक दल से संबद्धता न होने की घोषणा शामिल करें। इस घोषणा को अगले पृष्ठ पर दिए गए डिलीवरी चालान प्रारूप में जोड़ा जा सकता है।

4. मालिक से प्राधिकार पत्र

एक औपचारिक पत्र जो किसी विशिष्ट व्यक्ति या संस्था को मालिक के माल के परिवहन की अनुमति देता है।

5. वाहक की एक वैध फोटो आईडी

एक तस्वीर के साथ सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेज जो माल परिवहन करने वाले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है ।

6. **जीजेएस बूथ आवंटन पत्र (जीजेएस अप्रैल २०२४ में भाग लेने वाले ज्वैलर्स के लिए, आवंटन पत्र आपके प्रदर्शक मैनुअल में उपलब्ध है)**
जीजेएस शो में आपकी भागीदारी या आपके बूथ के आवंटन की पुष्टि करने वाला आधिकारिक पत्र साथ रखें ।
7. **आदर्श आचार संहिता के दौरान माल की आवाजाही के संबंध में राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय से संचार ।**
[\(Click to download\)](#)
8. **मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य से एनओसी प्राप्त हुई ।**
[\(Click to download\)](#)
पत्र का अंग्रेजी अनुवाद (केवल संदर्भ देखने के लिए)
[\(Click to download\)](#)

एक जिम्मेदार परिषद के रूप में, जीजेसी हमारे सदस्यों का समर्थन करने और आचार संहिता के दौरान माल की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने आपके संदर्भ के लिए और इस प्रक्रिया में आपकी सहायता के लिए आवश्यक दस्तावेजों के प्रारूप प्रदान किए हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि माल की आवाजाही के दौरान किसी भी समस्या से बचने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का पालन करें ।

1. प्रदर्शनी हेतु भेजे गए माल के डिलिवरी चालान का प्रारूप ।
[\(Click to download\)](#)
2. प्रदर्शनी से माल वापसी के लिए डिलीवरी चालान का प्रारूप ।
[\(Click to download\)](#)
3. प्राधिकार पत्र ।
[\(Click to download\)](#)
4. प्रमाणित स्टॉक सारांश ।
[\(Click to download\)](#)
5. जॉब वर्क के लिए भेजे गए सामान का डिलीवरी चालान ।
[\(Click to download\)](#)
6. जॉब वर्क से प्राप्त माल का डिलीवरी चालान ।
[\(Click to download\)](#)

7. सामान का डिलीवरी चालान हॉलमार्किंग के लिए भेजा गया ।
[\(Click to download\)](#)
8. मरम्मत और बदलाव के लिए भेजे गए सामान का डिलीवरी चालान ।
[\(Click to download\)](#)
9. माल का डिलीवरी चालान अनुमोदन के लिए भेजा गया ।
[\(Click to download\)](#)
10. स्टॉक ट्रांसफर के लिए डिलीवरी चालान ।
[\(Click to download\)](#)
11. बैंक जमा के लिए नकदी की आवाजाही ।
[\(Click to Download\)](#)

ये दिशानिर्देश वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत के चुनाव आयुक्त और विभिन्न अन्य सरकारी विभागों को की गई निरंतर बैठकों और सिफारिशों का परिणाम हैं ।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे जीजेसी या भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किसी भी अन्य सलाह से अपडेट रहें और जीजेएस शो २०२४ में सुचारू और सफल भागीदारी के लिए सभी नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें ।

बेस्ट रिगार्ड्स,

मितेश सी धोरडा

सचिव, जीजेसी